

मैसर्स श्री सोनी ग्रेनाईट्स कंपनी, रेफरेन्स नं. 20221000053453 (एम.एल. नं.-26/2022)

एवं गैप एरिया प्लॉट नं. 01/2024, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील-देवली, जिला-टोंक

मय क्लस्टर का जन-सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री सोनी ग्रेनाईट्स कंपनी, रेफरेन्स नं. 20221000053453 (एम.एल. नं. -26/2022) एवं गैप एरिया प्लॉट नं. 01/2024, कुल खनन क्षेत्रफल 3.3436 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित ग्रेनाईट उत्पादन क्षमता 3,00,000 TPA (ROM) साथ में क्रेशर इकाई क्षमता 1000 TPH निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील-देवली, जिला-टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल-15.6275 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 15,45,296.50 TPA, ग्रेनाईट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना में तथा कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/19284 दिनांक 06.06.2025, पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/20190 दिनांक 18.07.2025 एवं पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/20500 दिनांक 01.08.2025 (संलग्नक-अ) के अनुक्रम में दिनांक 23.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति देवली, तहसील देवली, जिला-टोंक (राजस्थान) में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक, जिला-टोंक (राजस्थान) की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

उक्त जनसुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई:-

1. श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक।
2. श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी।

जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति-पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक-ब)। उक्त जन सुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र "द इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 12.06.2025, 22.07.2025 एवं 07.08.2025 और स्थानीय समाचार पत्र "टोंक पत्रिका" में दिनांक 12.06.2025, 22.07.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी, राजस्थान

25/9/25
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

2025 एवं 07.08.2025 को आम सूचना निर्धारित जन सुनवाई से नियमानुसार निर्धारित समय (दिवस) पूर्व प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की फोटो प्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक-स)। जनसुनवाई की विडियो रिकोर्डिंग डी.वी.डी. एवं फोटो ग्राफ संलग्न है (संलग्नक-द)।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला-टोंक की अनुमति से जनसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जन-समूह को जनसुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की, कि वे परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी, उसे सुने, तत्पश्चात् यदि परियोजना के सम्बन्ध में कोई सुझाव या शिकायत हो तो कृपया सब से पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम तथा गाँव बतावें साथ ही सुझाव/शिकायत/आक्षेप जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते हैं।

उन्होंने यह भी अवगत कराया कि इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई में होने वाली कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हम आपके लिखित/मौखिक रूप में प्राप्त सभी सुझाव एवं आक्षेप कलमबद्ध करके वीडियो रिकोर्डिंग में फोटोग्राफ्स के साथ कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरूप राज्य स्तर पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान को प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित ग्रेनाइट खनन परियोजना के बारे में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया।

इसके पश्चात् मैसर्स सोनी ग्रेनाइट्स कम्पनी के परियोजना प्रस्तावक श्री राधेश्याम सोनी ने परियोजना की संक्षिप्त जानकारी दी तथा विस्तृत जानकारी के लिये पर्यावरण सलाहकार मैसर्स ऐजीज एन्वायरनमेंट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा की ओर से सुश्री/श्रीमती कायनात आजम को आमंत्रित किया। सुश्री/श्रीमती कायनात आजम द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट खनन परियोजना के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को विस्तृत जानकारी पॉवर पॉइन्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदान की गई जिसमें खनन पट्टे के स्थान, खनन

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी, राजस्थान

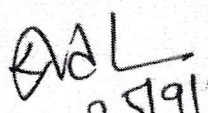
AdL
25/9/25
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

पट्टा क्षेत्रफल, क्लस्टर प्रमाण पत्र, क्लस्टर नक्शा, खसरा नक्शा, खसरा नकल की जानकारी, लीज संविदा निष्पादन से सम्बन्धित दस्तावेज, मंशा पत्र की जानकारी, अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान, अरावली प्रमाण पत्र की जानकारी, वन/राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य इत्यादि से परियोजना की दूरी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की जानकारी, उत्पादन क्षमता, टर्म ऑफ रेफरेन्स (TOR) की जानकारी, समाचार पत्रों में छपवाई गई आम सूचना की जानकारी, खनन की विधि, खनिज, निकटतम रेल्वे स्टेशन, निकटतम हवाई अड्डा, निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग, निकटतम राजमार्ग, संरक्षित, आरक्षित एवं अन्य क्षेत्रों की स्थिति, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान), जल निकायों/चेक बांधो, निकटतम चिकित्सा सुविधा, निकटतम शैक्षिक सुविधायें, खनन अध्ययन क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति, वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की वर्तमान स्थिति, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, जल प्रदूषण की वर्तमान स्थिति, जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, जल गुणवत्ता प्रबन्धन, खनन पिट के चारो ओर दीवार एवं गारलैंड निर्माण, खनन पट्टे की अवधि के समाप्त होने या उपलब्ध खनिज के समाप्त होने के बाद खनन क्षेत्र का उद्धार/पुनर्स्थापन कार्य, आगामी तीन वर्षों में पौधारोपण करने तथा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों यथा गाँव में सड़क का निर्माण एवं रखरखाव, सार्वजनिक शौचालय बनवाना, पानी की टंकी का निर्माण, वर्षागत जल संरचनाओं का निर्माण, नलकूपों का रखरखाव, सामान्य नर्सरी प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालयों में शिक्षण सामग्री, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कम्प्यूटर लेब, ग्रामीणों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेन्स की सुविधा प्रदान करना, पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) क्रियान्वन आदि से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गई।

तत्पश्चात् श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया। उपस्थित जन-समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार है:-

1. श्री भंवरलाल कुमावत पुत्र श्री रामदेव कुमावत, निवासी पीलवा, तहसील-पीपलू/देवली, जिला-टोंक ने कहा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लगाये गये पेड़-पौधों में से लगभग 10% पौधे जीवित नहीं रह सके हैं, तो उनके स्थान पर नये पौधे लगाये जावे।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी, राजस्थान


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज.)

2. श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री मिश्रीलाल जैन, निवासी बीजवाड़, तहसील-देवली, जिला-टोंक द्वारा बताया गया कि सोनी ग्रेनाईट कम्पनी द्वारा जो काम किया जा रहा है वो अच्छा है। कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत जो कार्य करवाये जा रहे हैं, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। कम्पनी ने जो रास्ते बनवाये हैं, उनका स्थानीय लोगों का लाभ मिल रहा है। हम यही चाहते हैं कि ये जो काम हो रहे हैं, वे अच्छे से हो और इनमें ज्यादा सुधार हो जिसका लाभ ग्रामीणों को मिल सकें।
3. श्री रामराज गुर्जर पुत्र श्री रामनारायण गुर्जर निवासी-संग्रामपुरा, तहसील-देवली, जिला-टोंक द्वारा बताया गया कि श्री राधेश्याम सोनी जो काम करते हैं, बढ़िया करते हैं। हमारे गाँव में बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। हमें यही आशा है कि आगे भी और अच्छा काम करें।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, बूंदी ने परियोजना प्रस्तावक को श्री भंवरलाल कुमावत के पौधारोपण के सुझाव पर अपनी बात रखने हेतु आमंत्रित किया।

श्री राधेश्याम सोनी ने बताया कि कुछ पौधे जो जीवित नहीं रह पाये हैं उनके जीवित नहीं रह पाने का कारण अतिवृष्टि है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उक्त पौधों के स्थान पर 200 नये पौधे लगाये जायेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पुनः उपस्थित अन्य लोगों से आग्रह किया कि आप में से किसी को कोई भी आपत्ति/सुझाव/शिकायत/आक्षेप हो तो वे अपनी बात कहें।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा उपस्थिति आमजन को अवगत कराया गया कि परियोजना प्रस्तावक की ओर से परियोजना के बारे में जो बताया गया और उस पर आप लोगों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है कि परियोजना प्रस्तावक पहले से अच्छा कार्य कर रहे हैं। इससे परियोजना प्रस्तावक की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है कि वे बात का ध्यान रखें कि इस परियोजना से गाँव व इसके आपपास के क्षेत्रों में कोई परेशानी नहीं हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो भी गतिविधियाँ प्रस्तावित की हैं। उनको पूर्ण करने के लिये आप बाध्य हैं। आपने पानी की टंकी के निर्माण व रखरखाव, ड्रेनेज, विद्यालयों में शैक्षणिक सामग्री का वितरण, कम्प्यूटर लेब की स्थापना एवं अन्य कार्य जो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं। उन्हें अच्छे से पूर्ण किया जावे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक (राज०)

परियोजना के आसपास के जीव-जंतु, पेड़-पौधे, पारिस्थितिकी इत्यादि का भी ध्यान रखे क्यों कि सबसे ज्यादा इन्हीं पर प्रभाव पड़ता है। माल परिवहन से उड़ने वाली धूल की रोकथाम करने के लिये आवश्यक व्यवस्था करें। ये अच्छी बात है कि ज्यादातर ग्रामीण आपके कार्य से संतुष्ट हैं। अब आगे भी गाँव के विकास के लिये आपसे अपेक्षा है।

उक्त जनसुनवाई के दौरान/पहले/बाद इस परियोजना से सम्बन्धित कोई लिखित सुझाव/शिकायत/अक्षेप/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अंत में जन सुनवाई की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।



(शिव कुमार)

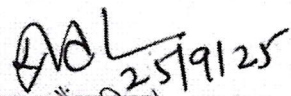
क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

बून्दी, राजस्थान



(राम रतन साँकरिया)

अति. जिला कलक्टर टोंक,

जिला मजिस्ट्रेट (राज.)

टोंक (राज.)

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांक:- /न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/19285 दिनांक 06/06/2025

पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बून्दी।

JEECP)

29/6/25



विषय:- Public hearing for Environment Clearance for District Tona

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण जनसुनवाई हेतु टोंक जिले की तहसील देवली में स्थित ग्राम संग्रामपुरा में ग्रेनाइट खान चालू किये जाने हेतु निम्नानुसार जनसुनवाई का समय, स्थान व दिनांक नियत किया जाता है:-

क्र०सं०	पत्रावली दिनांक/फर्म का नाम	पत्रांक	व	ग्राम का नाम	निर्धारित समय, स्थान व दिनांक
1	पत्रांक 104 दिनांक 17.04.2025 श्री सोनी ग्रेनाइट कंपनी			संग्रामपुरा	पंचायत समिति सभागार, देवली में दिनांक 18.07.2025 प्रातः 11.00 बजे

(राम रतन सौंकरिया)
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमांक:- /न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/19285-91 दिनांक 06/06/2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

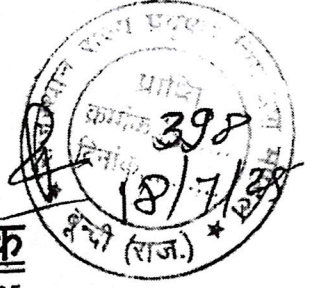
1. प्रभारी अधिकारी स्थापना/पुल कलेक्टर, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी देवली।
3. तहसीलदार देवली को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई संबन्धित पटवारी को उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली को भेजकर लेख है कि उक्त निर्धारित तिथि व समय पर पंचायत समिति सभागार में आवश्यक व्यवस्थाएँ करना सुनिश्चित करें।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग टोंक।
6. श्री जितेन्द्र सिंह नरुका, सहायक प्रशानिक अधिकारी, न्याय अनुभाग कलेक्टर टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
7. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत.....।

अति० जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

JUDICIAL MOST FILE : ENVIRONMET JANSUNWAI

Document certified by Ram Ratan
Sonkaria <ceo.jjn@gmail.com>.
Digitally Signed by Ram Ratan
Sonkaria
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date : 06-06-2025 02:06:27

JEE (P)
18/7/25



कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांक:-/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/20190

दिनांक:-18/07/2025

आदेश

कार्यालय हाजा के पत्रांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/19284 दिनांक 06.06.2025 से टोंक जिले के ग्राम संग्रामपुरा तहसील देवली जिला टोंक में ग्रेनाईट खान चालू किये जाने के संबन्ध में दिनांक 18.07.2025 को प्रातः 11.00 बजे पंचायत समिति सभागार देवली में पर्यावरणीय जनसुनवाई नियत की गई थी। उक्त पर्यावरणीय जनसुनवाई अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है।

(राम रतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमांक:-/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/20191-98 दिनांक:-18/07/2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना/पुल कलेक्टर, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी देवली।
3. तहसीलदार देवली।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग टोंक।
6. पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बून्दी।
7. श्री सोनी ग्रेनाईट कंपनी संग्रामपुरा तहसील देवली जिला टोंक।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

JUDICIAL MOST FILE : ENVIRONMET JANSUNWAI

RajKaj Ref No.:
16644764
eSign DSC

Document certified by Ram Ratan
Sonkaria <ceo.jjn@gmail.com>.
Digitally Signed by Ram Ratan
Sonkaria
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date :18-07-2025 02:37:16

JEE (DM)/P

04/08/25

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांक:- / न्याय/ पर्यावरण जनसुनवाई / 2025/20500 दिनांक.04/08/2025

पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

बून्दी।



विषय:- Public hearing for Environment Clearance for District Tonk.

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण जनसुनवाई हेतु टोंक जिले की तहसील देवली, दूनी, पीपलू एवं टोंक में स्थित ग्रामों में ग्रेनाईट/बजरी माईनिंग प्रोजेक्ट चालू किये जाने हेतु निम्नानुसार जनसुनवाई का समय, स्थान व दिनांक नियत किया जाता है:-

क्र०सं०	पत्रावली दिनांक/फर्म का नाम	पत्रांक व का नाम	निर्धारित समय, स्थान व दिनांक
1	पत्रांक 104 दिनांक 17.04.2025 श्री सोनी ग्रेनाईट कंपनी	संग्रामपुरा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति देवली, दिनांक 23.08.2025 प्रातः 11.00 बजे।
2	पत्रांक 804 दिनांक 24.07.2025 मै० श्री कामाक्षी ट्रांसपोर्ट	बोरदा	कार्यालय तहसीलदार टोंक, दिनांक 13.09.2025 को प्रातः 10.30 बजे।
3	पत्रांक 555 दिनांक 20.06.2025 मै० श्री कामाक्षी ट्रांसपोर्ट	बंथली	कार्यालय तहसीलदार दूनी, दिनांक 20.09.2025 को प्रातः 11.00 बजे।
4	पत्रांक 558 दिनांक 20.06.2025 मै० श्री कामाक्षी ट्रांसपोर्ट	जलसीना एवं जलेरी	कार्यालय तहसीलदार दूनी, दिनांक 20.09.2025 को प्रातः 11.30 बजे।
5	पत्रांक 570 दिनांक 20.06.2025 भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री विद्यासागर यादव	बंथली	कार्यालय तहसीलदार दूनी, दिनांक 20.09.2025 को दोपहर 12.00 बजे।
6	पत्रांक 564 दिनांक 20.06.2025 मै० यशोदा इन्टरप्राइजेज	डोडवाड़ी एवं मूण्डिया	राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति पीपलू, दिनांक 27.09.2025 प्रातः 11.00 बजे।
7	पत्रांक 567 दिनांक 20.06.2025 मै० एसजी इन्फ्रा टॉल वे प्रा.लि.	सतवाड़ा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति देवली, दिनांक 02.10.2025 प्रातः 11.00 बजे।
8	पत्रांक 561 दिनांक 20.06.2025 मै० एसजी इन्फ्रा टॉल वे प्रा.लि.	सतवाड़ा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति देवली, दिनांक 02.10.2025 प्रातः 11.30 बजे।

(राम रतन सौंकरिया)

अति० जिला मजिस्ट्रेट,

Signature valid

JUDICIAL MOST FILE : ENVIRONMET JANSUNWAI

RajKaj Ref No.: 16945602

eSign 1.0



Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Designation : Additional Collector And
Additional District Magistrate
Date: 2025.08.04 18:06:05 IST
Reason: Approved

संलग्नक : ४

मैसर्स सोनी ग्रेनाइट्स कंपनी, रेफरेन्स नं. 20221000053453 (एम.एल. नं.-26/2022) एवं गैप एरिया प्लॉट नं. 01/2024, खनन क्षेत्र 3.3436 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 3,00,000 TPA (ROM) साथ में क्रेशर इकाई क्षमता 1000 TPH मय कुल कलस्टर क्षेत्रफल-15.6275 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 15,45,296.50 TPA, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट हेतु आयोजित पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 23.08.2025 (शुक्रवार) को पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे में उपस्थित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्रक:-

क्र.स.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Ram Kateri Sonkar	ADM Ton	NR
2	Shivkumar	Regional Officer, RSPCB, Bundi	
3	Radhey Shyam Soni	Soni Granites Co	राधेश्याम/सोनी
4	Rajesh Kumar Vijayprakash	Rep. Soni Granites	राजेश
5	Amit Kumar Jais	myth Lal Jais	अमित
6	हेमराज	जोयाल बीगा	हेमराज
7	गोवर्धन कुमारा	बीजवाड	गोवर्धन
8	Shyamsi Ram Ghorjan	Sakrampura	सीजी
9	देवदत्त मल्ल	बीजवाड	देवदत्त
10	महावीर गांगुलि	बीजवाड	महावीर
11	मनो लाल कुमारा	बीजवाड	मनो
12	बालीलाल गुजर	बीजवाड	
13	माराचन्द्र देगर	बीजवाड	माराचन्द्र
14	महावीर बल्लार	बीजवाड	महावीर
15	अनील गुंगुलिया	बीजवाड	Anil Bug.
16	राहुल डामेर	बीजवाड	

अशोक सोनी

लैडर/असिस्टेंट

अशोक

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
17	अशोक सैनी	रेडरायसिंह	अशोक
18	राजकुमार चौहान	राम्मालीया	राजकुमार
19	देवी लाल वैरवा	जनेई रघुई	देवीलाल
20	दिनेश बेग	राधनगर	दिनेश
21	शोलेव	राधनगर	शोलेव
22	पिंटु	राधनगर	पिंटु
23	मनानी राम	गाव गांवी थला	मनानी
24	मनीष कुमार गुर्जर	साताजी का चौबला	मनीष
25	मुकेश कुमार कुमावत	कुमावत का नभागाँव	मुकेश
26	कडीलाल	बीजवाड	कडी
27	जालुराम	संग्रामपुरा	जालुराम
28	लगवान	संग्रामपुरा	लगवान
29	दीशालाल	संग्रामपुरा	दीशालाल
30	गणेश मीणा	बीजवाड	गणेश
31	बसिराज गुर्जर	संग्रामपुरा	बसिराज
32	इंदु प्रेमचंद	संग्रामपुरा (फतेहगढ़)	इंदु
33	सिव नरमान	देवली	सिव नरमान
34	विमल मीणा	संग्रामपुरा	विमल
35	सुभाष कुमार	संग्रामपुरा	सुभाष
36	मोहनदास	संग्रामपुरा	मोहन
37	सुरेश	बीजवाड	सुरेश
38	Kaynat Aazam	Wdairpur	Kaynat

[illegible]









DIX IV (See rule 8(1))
SESSION NOTICE
(Immovable Property)
Housing Finance
name of GE Money
sets and Enforcement
(Enforcement) Rules

rein below in exercise
e Year 2025.
editor the amount and
y taken in possession

and Notice (Rs.)

100000005043585
(Rupees Thirteen
Thousand Seven
Only) payable as
ing with interest @
alization.

Finance Limited)

Agvas
FINANCE
E. SAATH HAMAARA

ct, 2002 read with
gaged/charged to
ll be sold on "As is

Place of Tender
ubmission, Tender
Open & Auction at
avas Financiers Ltd.

ND FLOOR, SHOP
0.1 & 2, CHAK -3
MURBA
0.35/37, KILLA
0.21, SHAKTI
IARG, NEAR
AJASTHAN
ATRIKA, DIST -
RIGANGANAGAR-
35001, RAJASTHA
INDIA

PP TIWARI
HARM KANTA
IAR
HOUDHARY
ETROL PUMP, 1ST
OOR, ABOVE
P TOP
RNRITURE, AGRA
DAD, DAUSA-
B303, RAJASTHA
INDIA

1-202, 2ND
OOR,
JUTHEND
UARE, MANSAR
/ER INDUSTRIAL
EA, JAIPUR-
2020, RAJASTHA
INDIA

1-202, 2ND
OOR,
JUTHEND
UARE, MANSAR
/ER INDUSTRIAL
EA, JAIPUR-
2020, RAJASTHA
INDIA

D FLOOR, PLOT
0.8, GOPALI
DAN, NR.
ILWAY
ERBRIGGE,
NI SATI,
ZAAR, BIKANER-
4001, RAJASTHA
INDIA

T FLOOR, E-131,
LPATRU
OPPING

NAME CHANGE

I, SHARMILA wife of No-14441313X,
Name- Narendra Kumar Saharan, resident
of D-171, New Civil Line Area,
Hanumangarh Jn. (Raj.), in my husband's
Army Service Record my name
SHARMILA DEVI is wrongly mention
my correct name is SHARMILA. Affidavit
no BY 927147 dated 11.06.2025.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to
acceptance of advertising
copy, it is not possible to verify
its contents. The Indian
Express (P) Limited cannot
be held responsible for such
contents, nor for any loss or
damage incurred as a result of
transactions with companies,
associations or individuals
advertising in its newspapers
or Publications. We therefore
recommend that readers
make necessary inquiries
before sending any monies
or entering into any
agreements with advertisers
or otherwise acting in any
manner whatsoever.

CORRIGENDUM

ICICI Home Finance

Corporate Office: ICICI Home Finance
Company Limited ICICI HFC Tower,
Andheri- Kurla Road, Andheri (East),
Mumbai - 400059, India

Branch Office: Ground Floor, S-32, JDA Market, Gopalpur, Mansarovar Link
Road, Near Ridhi Sidhi Sweets, Jaipur- 302018

Refer to the advertisement published in Jaipur (Rajasthan) Notice for Sale of
Immovable Property by ICICI HFC, on 6th June 2025 under the Borrower's
Name Shankar Lal Khandelwal, LAN no. NHJAI00000727513 in Indian
Express (Eng.) & Kanchan Kesari (Hin.) is scheduled to be conducted on 8th
July 2025. The Auction of the secured Asset is hereby cancelled.

Kindly be noted that the other contents in referred notice dated 6th June
2025 will remain in force and unchanged.

Date : June 12, 2025

Place : Jaipur, Rajsamand, Pali, Kota, Dungarpur

Authorized Officer, "ICICI Home Finance Company Limited",
CIN Number:- U65922MH1999PLC120106

ESAF
ESAF SMALL FINANCE BANK

REGD. OFFICE: ESAF Bhavan,
Mannuthy, Thrissur- 680 651, Kerala.

GOLD AUCTION NOTICE

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold
ornaments pledged with ESAF Small Finance Bank and not redeemed
by borrowers, despite repeated reminders and notices, of our branches,
are listed below. This will be auctioned as per the details given below:

DATE OF AUCTION: 20-06-2025 **TIME:** 2pm to 5 pm
AUCTION VENUE: Through e-Auction
AUCTION ADDRESS: <https://gold.matexnet.org/>
Contact Number: 9944171360 / 9843312694

To register as bidder for the e-Auction with terms and conditions, and
full details of e-Auction please visit the above site.

BRANCHES & LOAN ACCOUNT NUMBERS

AJMER: 75240001386795, **JAIPUR:** 63240000845817, 75240003662282, 3959994,
UDAIPUR-RAJASTHAN: 6324000063159, 63250000095278, 123337.

Customers who are interested to release the ornaments by paying the total due
amount may do so, at the respective branches, on or two days before the date
of the auction.

Bidders who wish to participate in the auction shall produce their KYC
documents. GST No. is mandatory for registered firms/companies. Bidders
shall deposit a sum of Rs.50,000 as EMD before participating in the auction.

Thrissur

Date: 12-06-2025

Sd/-

Authorized Signatory

Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi, E-mail: rorcb.bundi@gmail.com
No. RPCB/RO Bundi/PUB-138/418 Date 09.06.25

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैसर्स सोनी ग्रेनाईट्स कंपनी, रेफरेन्स नं
20221000053453 (एम एल नं-26/2022) एवं गैप एरिया पॉट नं. 01/2024 की
प्रस्तावित ग्रेनाईट स्टोन खनन परियोजना खनन क्षेत्र 3.3436 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता
3,00,000 TPA (ROM) साथ में केंशर इकाई क्षमता 1000 TPH निकट ग्राम संग्रामपुरा
तहसील देवली, जिला टोंक मय कुल कलस्टर क्षेत्रफल-15.6275 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर
उत्पादन क्षमता 15,45,296.50 TPA से सम्बंधित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति
हेतु आवेदन राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति / राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निधारण प्राधिकरण
राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 2. चूंकि मैसर्स सोनी ग्रेनाईट्स कंपनी द्वारा उक्त परियोजना के
लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी
अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के
प्रवधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना
अनिवार्य है। 4. उक्त परियोजना से सम्बंधित झपट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं सक्षित
कार्यपालक सार अभिलेख (हिन्दी अंग्रेजी में) निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. कार्यालय जिला कलस्टर टोंक। 2. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परियोजना, जिला टोंक। 3.
कार्यालय महाप्रबन्धक जिला उद्योग केंद्र, जिला टोंक। 4. कार्यालय पंचायत समिति देवली, तहसील देवली,
जिला टोंक। 5. कार्यालय ग्राम पंचायत बीजवाड तहसील देवली, जिला टोंक। 6. क्षेत्रीय कार्यालय वन
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार प-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर। 7. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना
हुगरी, जयपुर। 8. निदेशक, पर्यावरण विभाग कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल. उ.प. (एसएसओ) भवन,
सचिवालय, जयपुर। 9. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी, जिला बून्दी।
10. कार्यालय सहायक छानि अभियन्ता छान एवं मू-विज्ञान विभाग, टोंक, जिला टोंक
अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलस्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के पत्र क्रमांक स्थाय./
पर्यावरण जनसुनवाई/2025/19284 दिनांक 06/06/2025 के क्रम में इस आम सूचना के
माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित
जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.07.2005 (शुक्रवार) को पंचायत समिति सामगार देवली, तहसील
देवली, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक
आपत्ति/आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध आपत्ति/आक्षेप/सुझाव इस सूचना के
प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मन्त्र,
बून्दी, जिला बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में आपत्ति/आक्षेप/सुझाव इस
सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवदीय शिव कुमार-क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.मं., बून्दी

NOTICE

SHREE CEMENT LIMITED

REGISTERED OFFICE: Bangur Nagar, Distt. - Ajmer, Beawar,
Rajasthan, 305901

Ph: 01462-228101 / 228102 / 228103 / 228104 / 05/06

NOTICE is hereby given that the certificate(s) for the under mentioned securities of
the company has/have been lost/misaid and the holder of the said
securities/applicant has/have applied to the company to release the new certificate.
The company has informed the holders/applicants that the said shares have been
transferred to IEPF as per IEPF rules.

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim
with the company at its registered office within 15 days from this date, else the
company will proceed to release the new certificate to the holder/applicant without
further intimation.

Company Name	Client Name	Folio Number	Certificate Number	Distinctive Number	Number of Shares
SHREE CEMENT LIMITED	SUNIL KUMAR RAJGARHIA	SCL039957	130735	14250821-14250870	50
			130736	14250871-14250920	50
			232276	30299910-30299959	50
			232277	30299960-30299979	20
			232278	30299980-30299980	1

RAJASTHAN [DATE: 12/06/2025]

SUNIL KUMAR RAJGARHIA

pnb
Oriental United

punjab national bank
Together for the better

Circle ARMB Thane

PNB Pragati Tower, 3rd Floor, Plot C-9, Block- G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051.
Email: cs8325@pnb.co.in

SALE NOTICE FOR SALE OF

SECURED ASSETS

UNDER SARFAESI ACT

E-Auction Sale Notice for Sale of Secured Assets under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to
Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the
constructive/physical/ symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is"
on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest
money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

Sr No.	Name of the Branch	Description of the Immovable Properties Mortgaged	A) Date of Demand Notice u/s 13(2) of SARFESI ACT 2002	A) Reserve Price	Date/ Time of E-Auction	Details of the encumbrances known to the secured creditors
	Name of the Account		B) Outstanding Amount as on C) Possession Date u/s 13(4) of SARFESI ACT 2002	B) EMD (Last Date of deposit of EMD)		
	Name & addresses of the Borrower(s) / Mortgagor(s) / Guarantors	Name of Mortgagor / Owner of property	D) Nature of Possession Symbolic / Physical / Constructive	C) Bid Incremental Amount		Name & Number of the Contact Person
1.	ARMB Thane	All that part and parcel of the property	A) 04-06-2024	A) Rs. 33.00.000/-	30.06.2025	Not Known to us

छातड़ी शरीफ का उर्स मुबारक, कई गांवों से आए जायरीन



देवली. शहर से आठ किमी दूर बनावस नदी स्थित हजरत दावल अली बाबा की दरगाह छातड़ी शरीफ में एक दिवसीय उर्स मुबारक का कार्यक्रम आयोजित हुआ। समाज के मोहम्मद इदरीस ने बताया कि आयोजन में शहर के आस पास के जायरीनों ने भाग



लिया। इस बार दरगाह पर चारों तरफ पानी भरा होने के कारण उर्स में कम संख्या में ही न्योता नहीं दिया गया। कार्यक्रम में भर दे झोली मेरी

देवली.
बनावस नदी स्थित दरगाह के चारों ओर भरा पानी।

सूफियाना कलाम पेश किए। सुबह फजर में कुरआन ख्वानी से उर्स की शुरुआत की गई। नमाजे जौहर बाद मजार शरीफ पर चादर पेश की गई। मगरीब की नमाज के साथ लंगर का आयोजन किया गया। रात को कुल की रस्म अदा की गई। इससे पूर्व भारत सरकार के पूर्व महाअधिवक्ता एमडी अंसारी का साफा और माला पहनाकर करके स्वागत किया गया।

ई शुरुआत
राजकीय उच्च अख्यलय में विश्व योग प्रारंभिक एवं प्रधानाचार्य म्हार की अध्यक्षता में को संबोधित कर दिवस वन-अर्थ, वन-राज आयोजित किया जा क्षण प्रभारी सुरेन्द्रसिंह या कि चार दिवसीय आयुष मंत्रालय की शिक्षक आयुर्वेद राज मीणा की गग इंस्ट्रक्टर र एवं दिव्यांशी जैन शुरु हुआ। प्रशिक्षण ल सहित 20 पंचायत शक्षकों ने हिस्सा

**Rajasthan State Pollution Control Board**

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi, E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com
No. R/PCB/RO Bundi/PUB-138/418 Date 09.06.25

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैसर्स सोनी ग्रेनाइट्स कंपनी, रैफेल्स नं 20221000053453 (एम एल नं-26/2022) एवं गैप परिया खॉट नं. 01/2024 की प्रस्तावित ग्रेनाइट स्टोन खनन परियोजना खनन क्षेत्र 3, 3436 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 3,00,000 TPA (ROM) साथ में केशर इकाई क्षमता 1000 TPH निकट ग्राम संग्रामपुरा तहसील देवली, जिला टोंक मध्य कुल कलस्टर क्षेत्रफल-15.6275 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 15,45,296.50 TPA से सम्बंधित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति / राज्य स्तर पर्यावरण समायोजन निधारण प्राधिकरण राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 2. चूंकि मैसर्स सोनी ग्रेनाइट्स कंपनी द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु आवेदन मध्य वस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यथा तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रवधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। 4. उक्त परियोजना से सम्बंधित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख (हिंदी अंग्रेजी में) निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. कार्यालय जिला कलक्टर टोंक। 2. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक। 3. कार्यालय महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक। 4. कार्यालय पंचायत समिति देवली, तहसील देवली, जिला टोंक। 5. कार्यालय ग्राम पंचायत बीजवाड़ तहसील देवली, जिला टोंक। 6. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-218, अरव्य भवन, शालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। 7. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यलय 4, संस्थानिक क्षेत्र, शालाना बंगरी, जयपुर। 8. निदेशक, पर्यावरण विभाग कमार संख्या 8240 द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 9. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी, जिला बून्दी। 10. कार्यालय महाप्रबन्धक जलिन, अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक, जिला टोंक

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई /2025/ 19284 दिनांक 06/06/2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 18.07.2005 (शुक्रवार) को पंचायत समिति सभागार देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति/आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सभ्यन आपत्ति/आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में आपत्ति/आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवदीय शिव कुमार-क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.मं., बून्दी

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज
(स्वाभारत के पीछे, पुनर्जा पुनित सुव्यवस्था, बड़ी चौपड़, जयपुर) (लैण्ड प्रोजेक्ट)

/मजिल./2025/ दिनांक :-

सार्वजनिक सूचना

द्वारा वर्ष 1993 में गोलीमार गार्डन योजना, आमेर रोड, जयपुर व्यावसायिक/आवासीय भूखण्डों की मीमी की शर्त संख्या 5 व 7 तथा अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 1, 2, 3 व 4 अनुसार नीलाम किये भूखण्डों पर वर्ष की निर्धारित अवधि में निर्माण कराना आवश्यक था। वर्तमान मौके की रिपोर्ट अनुसार उक्त योजना रिक्त पाये गये हैं। उपरोक्तानुसार नीलामी की शर्त संख्या 5 व 7 तथा अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 1, 2, त भूखण्डों के नीलामी/आवेदन निरस्त किये जाते हैं। अतः इस बाबत किसी भी व्यक्ति व संस्था को दिस में इस शाखा (उपायुक्त-लैण्ड, नगर निगम जयपुर हैरिटेज) में विधि मान्य दस्तावेजों सहित निर्धारित समयवधि पश्चात् नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा निम्न भूखण्डों की पुनः नीलामी कर दी

ना का नाम/स्थान	भू.सं.	साईज व.मी. (लगभग)	किस्म/प्रकार
न योजना, आमेर रोड, जयपुर	एस-3	20' X 40'	आवासीय / व्यावसायिक
न योजना, आमेर रोड, जयपुर	एस-5	20' X 40'	आवासीय / व्यावसायिक
न योजना, आमेर रोड, जयपुर	एस-6	20' X 40'	आवासीय / व्यावसायिक
न योजना, आमेर रोड, जयपुर	एस-7	20' X 40'	आवासीय / व्यावसायिक
न योजना, आमेर रोड, जयपुर	एस-13	20' X 40'	आवासीय / व्यावसायिक
न योजना, आमेर रोड, जयपुर	एस-14	20' X 40'	आवासीय / व्यावसायिक
न योजना, आमेर रोड, जयपुर	एस-15	20' X 40'	आवासीय / व्यावसायिक

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT PRINCIPAL SEAT JODHPUR
S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. /2025
AND Caveat No. /2025
Any Person Vs. State of Rajasthan & Ors.

CAVEAT APPLICATION
MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS:
Your Lordships humble applicant wants to enter into caveat and let nothing be done till the applicants are heard in the matter.

The particulars of the writ petition which is likely to be filed against the order dated 21.06.2024 and 21.01.2025 issued by the Commissioner, College Education Department and order dated 30.03.2021 and 07.08.2023 (Vidhya Sambhal Scheme) issued by the Department of Finance, Government of Rajasthan: The writ petition may be filed by any of the following person:- 1. Any person That the writ petition is likely to be filed against all or any of the following applicants:

1. State of Rajasthan, Through its Secretary, Higher Education Department, Jaipur.
2. State of Rajasthan, Through its Secretary, Finance Department, Jaipur.
3. The Commissioner, Department of College Education, Jaipur.
4. The Joint Director (HRD), Commissionerate College Education Department, Jaipur, Rajasthan.

The writ petition is likely to be filed against following orders:

1. The particulars of the writ petition which is likely to be filed against the order dated 21.06.2024 and 21.01.2025 issued by the Commissionerate, College Education Department and
2. The order dated 30.03.2021 and 07.08.2023 issued by the Department of Finance, Government of Rajasthan:

The Vakalatnama of Dr. Balveer Chaudhary, Assistant Director, College Education, Jodhpur (on behalf of the State of Rajasthan) is submitted herewith, The humble applicant want to enter into caveat and let nothing become done till the applicant heard in this matter and shall provide an advance copy of the writ petition in the office of the undersigned before filling the same in Hon'ble Court.

3. A caveat is being filed on behalf of Department of Higher Education through Additional Advocate General (AAG) Praveen Khandelwal.

PRAYER
The humble Applicant humbly prayed that nothing shall be done unless the Applicant, Department of College Education is heard.

HUMBLE APPLICANT
THROUGH HIS COUNSELS
Praveen Khandelwal JODHPUR Piyush Bhandari, Asst. To AAG
Additional Advocate General (R/1112/1995) Mob. 9414166890 (R/2075/2012) Mob. 9649803212

कार्यालय अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जगतपुरा जयपुर
क्रमांक : जिपअ/2025/780 कार्यालय आदेश दिनांक 11/06/2025

समस्त वाहन स्वामियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विभाग के आदेश क्रमांक 20684 दिनांक 03.11.2020 द्वारा राज्य के जिला जयपुर को Non-attainment City के रूप में अधिसूचित किया जाकर डीजल चलित व्यावसायिक भार/यात्री वाहन जिनकी प्रथम पंजीयन दिनांक को 15 वर्ष पूर्ण हो चुके है, के संचालन का पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही विभागीय आदेश दिनांक 03-11-2020 में ऐसे वाहन स्वामियों को उनके वाहन की प्रथम पंजीयन दिनांक से 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व राज्य के अन्य क्षेत्रों (Non-attainment city के रूप में अधिसूचित जिलों के अतिरिक्त) हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं। ऐसे वाहन जिनको 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं एवं पंजीयन वैधता समाप्त हो चुकी है, ऐसे समस्त वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र विधिक रूप से समाप्त हो गये है एवं वर्तमान में इन वाहनों को कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना भी अपेक्षित नहीं है।

उक्त आदेशों की पालना में परिवहन विभाग राजस्थान के कार्यालय आदेश 35/2016 के निर्देशानुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 0346 दिनांक 14.05.2025 के द्वारा जरिये नोटिस दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 20.05.2025 को प्रकाशित कर संबंधित वाहन स्वामियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे इसके प्रत्युत्तर में

EXPRESS NETWORK 3

over identity of accused

n Pakistan in the use of sophisticated weapons and assembling bombs.

He, along with Shahnawaz, who allegedly also received training in Pakistan, later rented a room in the Sewri area of Mumbai. "They had been supplied with explosives from across the border. In that Sewri room, Sadiq and Shanawaz assembled bombs in pressure cookers. To avoid suspicion, the four pressure cookers in which bombs were assembled were all bought at different periods of time. Before the blasts, they conducted elaborate recce travelling in first-class compartment of Mumbai locals every day to study the feasibility of their plan. On the day of the blasts, they all boarded Mumbai locals at different times and got down at different stations," an officer who was part of the investigations told *The Indian Express*.

According to the officer, during interrogation, Sadiq even expressed anger and sadness at the arrest of Ehtesham Siddiqui, one of the 2006 train blasts accused, and others. "He told the probe team categorically that the ATS

had the wrong people and that they had nothing to do with the blasts. He even said that it was because of (the 2006 train blasts) case that the IM began sending emails claiming responsibility for the terror attacks they executed later," the officer said.

In fact, until the 2008 arrest of the IM module by Mumbai Crime Branch, the organisation had been a shadowy entity — so much so that even Central agencies such as the IB and R&AW had no clue about what it really was. The chance discovery was made after Maria roped in Inspector Arun Chavan (now retired) following the serial blasts in Ahmedabad on July 26, 2008, to look into the finding that the cars used for it had been stolen from Navi Mumbai.

Chavan, with the help of Constable Pralhad Madne (an expert in car theft cases), managed to catch the two men who had allegedly stolen the vehicles within a month. The two reportedly told Chavan they stole the cars on the instructions of Afzal Usmani. Chavan's team nabbed Usmani from UP's Mau district on August 24 that year.

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
 Plot No- D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
 Email: rorpeb.bundi@gmail.com
 No- RPCB/RO Bundi/PUB-138/698 Date: 18-07-2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थान के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सोनी ग्रेनाइट्स कंपनी, रेकरेस नं. 20221000053453 (एम.एन. नं.-26/2022) एवं पैन परिया चॉट नं. 01/2024, खनन क्षेत्र 3.3436 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 3,00,000 TPA (ROM) साथ में क्रेशर इकाई क्षमता 1000 TPH मय कुल कलस्टर क्षेत्रफल-15.6275 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 15,45,296.50 TPA, निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 18.07.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान पंचायत समिति सभागार, देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में जनसुनवाई नियत की गई थी। उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश क्रमांक/म्याप/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/20190 दिनांक 18.06.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अधिम आदेशों तक स्थगित की गई है।

2. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई स्थान हेतु इस आशय की सूचना दी जानी अनिवार्य है।

भववीथ-शिव कुमार
 क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., बुन्दी

Nippon India Mutual Fund
 Wealth sets you free

Mutual Fund Investor Awareness Program

To increase awareness about Mutual Funds, we conduct Investor Awareness Programmes (IAPs) across the country. Schedule of upcoming IAP is as mentioned below:

Date	Time	Location
23rd July, 2025	06:30 PM	Jaipur

Venue: Shree Ram Restaurant and Cafe, Phulera - Jobner Rd, Phulera, Kachroda, Rajasthan - 303338.

Name: Ajay Sharma | Mob. No: 8433599383

Nippon Life India Asset Management Limited | CIN : L65910MH1995PLC220793

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

UMMEED HOUSING FINANCE PVT. LTD
 Registered office at: Unit 2009-14, 20th Floor, Tower -2, Magnum Global Park, Golf Course Extension Road, Sect-58, Gurugram (Haryana)-122011 | CIN: U65922HR2016PTC057984.

DEMAND NOTICE U/S(13)2 SARFESI ACT

As the loan account become NPA therefore Authorised officer u/s 13(2) the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 had issued 60 days demand notice to Borrower/Applicant/Guarantor/Mortgagor as given in the table. According to the notice if the borrowers do not deposit the entire amount within 60 days, the amount will be recovered from auction of mortgage property/secured assets mentioned below. Therefore, the borrowers are informed to deposit the entire loan amount along with the future interest and expenses within 60 days from the date of demand notice, otherwise under the provision of 13(4) and 14 of said act, the authorised officer is taking possession for sale of the mortgage property/secured assets as given below. Borrowers to take note that after receipt of this notice in terms of 13(13) of the act, 2002, you are prohibited and restrained from the transferring any of the secured assets by way of sale, lease or otherwise, without prior written consent of the secured creditor. Borrowers' attentions are attracted towards sec-13(1) R/W rule 3(5) of the security interest (enforcement) Rule, 2002 Act that the borrower shall be entitled redeem their secured asset upon the payment of the complete outstanding dues as mentioned below before the publication of auction notice, which thereafter shall cease to exist.

Sr. No.	Name Of Borrower / Applicant / Guarantor / Mortgagor	Date And Amount Of Demand Notice U/S 13(2)
1.	1. Bhagwan Singh S/o Naval Singh (Borrower) 2. Devina Devi W/o Bhagwan Singh (Co-Borrower) Both Above Residing At- Hanuman Gali, Rajiyawas, Beawer, Ajmer, Rajasthan - 305925 Loan No - LXBH0423-240032168 Loan Agreement Date: 20-Sep-2022 & 30-Dec-2023, Loan Amt Rs. 5,50,000/- + Rs. 81,000/-	12-Jun-2025, Rs. 5,41,144/- & Rs. 75,371/- Total Aggregate Amount Of Rs. 6,16,515/- (Rupees Six Lacs Sixteen Thousand Five Hundred Fifteen Only) As On 12-Jun-25 + Further Interest And Other Charges From The Date 13-Jun-2025

Description Of Mortgage Property: All that part and parcel of Residential Property Bearing Patta No. 21, Book No. 284, Sankalp No. 04 Dated 10-06-2019 Situated At Gram Rajiyawas, Gram Panchayat Rajiyawas, Panchayat Samiti Jawaja, Tehsil Beawer, District Ajmer, Rajasthan. Total Admeasuring Area 118.80 Sq. Yds. Bounded As East- Open Land West- Rasta, House Of Bhanwar Singh/Ghesu Singh North - House Of Doulat Singh/Hajari Singh South- Gali/Rasta.

2.	1. Surendra Kumar S/o Ram Gopal (Borrower) 2. Sunita Kumari W/o Surendra Kumar (Co-Borrower) Both Above Residing At-Ward No.08, Kanwar Pura, Sikar, Rajasthan-332001 Loan No - LXSIK02821-220013409 & LXSIK04423-240027153 Loan Agreement Date: 31-Oct-2021 & 31-Jul-2023 Loan Amt Rs. 9,00,000/- & Rs. 2,60,000/-	11-Jun-2025, Rs. 6,51,148/- & Rs. 2,37,552/- Total Aggregate Amount Of Rs. 8,88,700/- (Rupees Eight Lacs Eighty Eight Thousand Seven Hundred Only) as on 11-Jun-25 + Further Interest And Other Charges From The Date 12-Jun-2025
----	---	---

Description Of Mortgage Property: All that part and parcel of Property Bearing Patta No.06, Book No.37, Missal No.212, Sankalp No.03 Dated 05-02-2021, Measuring 297.11 Sq.yds., Situated At Village Kanwarpura, Gram Panchayat Kanwarpura, Panchayat Samiti Dhod, District Sikar Rajasthan. Bounded As- North- Dinesh Kumar S/o Ramgopal South- Ranchandra S/o Goruram East- Self Land West- Aam Rasta

VT. LTD., Renwal Road, DholiMandiChomu, Jaipur 303702

Demand Notice		
As per the demand notice issued by the company, the borrowers and guarantors have availed loan/financial facility from Megha Holdings Pvt. Ltd. by mortgaging the property. As a consequence of the above default, the loan was classified as a default. The Company, in terms of Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Reconstruction of Financial Assets Act, 2002, has issued a demand notice and as an alternative service to repay the loan amount within a period of 60 days from the date of demand notice by the above borrowers to MHPL respectively.		
Borrower and Loan	Date of Demand and Amount Due	Details of Security (Immovable/Immovable Property)
1. Vishwakarma S/o Vishwakarma	26 May 2025 Amount Rs. 42,06,005/-	Land situated in Village Dhanota, PatwarHalkaDhanota, Tehsil Shahpura, Dist. Jaipur Khasra No. 149/1 area 0.42 hectare Kita 1 total area 0.42 part 35/101 residential land plot number 11,12,13,14,15,16, and 17 total area 1383.95 sq. yard.

Authorized Officer (Megha Holdings Pvt. Ltd.)

VT. LTD., Renwal Road, DholiMandiChomu, Jaipur 303702

Demand Notice		
As per the demand notice issued by the company, the borrowers and guarantors have availed loan/financial facility from Megha Holdings Pvt. Ltd. by mortgaging the property. As a consequence of the above default, the loan was classified as a default. The Company, in terms of Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Reconstruction of Financial Assets Act, 2002, has issued a demand notice and as an alternative service to repay the loan amount within a period of 60 days from the date of demand notice by the above borrowers to MHPL respectively.		
Borrower and Loan	Date of Demand and Amount Due	Details of Security (Immovable/Immovable Property)
1. Pradip Prasad Singh Dholi, 3804 Mohan Dholi, Dist.	14 June 2025 Amount Rs. 58,06,494/-	Residential land plot number 5 and 6 in land Khasra number 1386/1 area 0.13 hectare situated in village Devthala, Tehsil Chomu Dist. Jaipur, total area 488.16 square yards.

संस्था कायस्थ समाज की ओर से मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान दिया जाएगा। संस्था कवि, साहित्यकार व समीक्षकों को सम्मानित करने का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित करती

उनयारा तहसाल के ग्राम ककोड निवासी सन्दीप कुमार जैन को उनकी कविता आओ अपना नीड़ बनाए के पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। सम्मान समारोह कृषि प्रबंध संस्थान ऑडोटेरियम दुर्गापुरा, जयपुर में 3 अगस्त को आयोजित किया जाएगा।

यात्रा रवाना हुई। रविवार की रात को श्याम भक्तों द्वारा घाटी वाले भैरव मंदिर बाबा श्याम की गाजेबाजे के साथ शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें हजारों श्याम भक्त भजनों पर नाचते गाते रहे। शोभायात्रा गांव के विभिन्न से होकर गुजरी। सोमवार की

एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बाबा श्याम की आकर्षक झांकी सजाई। इसके बाद रामदेव मंदिर से श्याम भक्त भजनों पर नाचते और जयकारे लगाते हुए खाटूधाम के लिए रवाना हुए।

रानू तिवारी हुई सम्मानित

टॉक. समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए टॉक निवासी रानू तिवारी को समाज सारथी अवार्ड से कोटा में आयोजित समारोह में टीवी कलाकार नीलु वाघेला ने सम्मानित किया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रमों का संचालन किया है। इस मौके पर माल चंद शर्मा, मधु बाला तिवारी, मिथलेश शर्मा, रमेश चंद गौतम, शानू तिवारी, रजत, दीपमाला सेनी, सोनू सेनी आदि ने खुशी व्यक्त की।



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No- D-15, Near Ishwan Fruit Garden, New Colony, Bundi
Email: rpsc@bundi@gmail.com
No- RPB/RO Bundi/PUB-138/698 Date: 18-07-2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थान के लिए आम सूचना
1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सोनी ग्रेनाइट्स कंपनी, रेफरेंस नं. 20221000053453 (एम.एल. नं.-26/2022) एवं गैप परिया फ्लॉट नं. 01/2024, खनन क्षेत्र 3.3436 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 3,00,000 TPA (ROM) साथ में क्रोशर इकाई क्षमता 1000 TPH मय कुल कलस्टर क्षेत्रफल-15.6275 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 15,45,296.50 TPA, निकट ग्राम संप्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 18.07.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान पंचायत समिति संप्रामपुरा, देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में जनसुनवाई नियत की गई थी। उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/20190 दिनांक 18.06.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है।
2. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई स्थान हेतु इस आशय की सूचना दी जानी अनिवार्य है।

भवदीय- शिव कुमार
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म.- बुन्दी

आम सूचना

आराजी खसरा नम्बर 1535, 1539, 1541, 1542, 1544, 1543, 1545, 1546, 1547, 6602, 6381, 6715/1, 7369/6715, 7370/6715, 6717, 6766, 6768, 1549 जिनके साबिक खसरा नम्बर 1321, 1325, 1327, 1330, 1328, 1331, 1332, 1333, 6111, 5899, 5930, 6230, 6280, 6282, 1335-लॉके कस्बा टोंक राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात के संबंध में विपक्षीयता के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के यहां वाद प्रस्तुत किया था जो अभी विचारधीन है। जिसमें प्रार्थीगण ने उक्त भूमि के संबंध में मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति दिनांक 10.12.2024 को आदेश पारित किया था। तथा उक्त प्रकरण राजस्व बोर्ड अजमेर में विचारधीन है तथा उक्त भूमि के संबंध में और अन्य दो विविजन राजस्व बोर्ड अजमेर में चले रहे हैं जिसमें न्यायालय उक्त भूमि के स्वामित्व का निर्धारण होना है। जिसमें भू माफिकों द्वारा गैर खातेदार से मिलकर खसरा नम्बर 6717, 6766, 6768 वाके भण्डार मोटर्स के पास, टोंक राजस्थान में प्लॉटिंग की जा रही है जो कि अवैध है। इन खसरा नम्बर में मालिक, स्वामी व काबिज अधिक संख्या में हैं। जिससे आमजन सूचित किया जाता है कि इन खसरे में कोई भी भू माफिकों से प्लाट नहीं खरीदे और ना ही कोई सौदा कर, क्योंकि उक्त लोग केवल उलझाने का कार्य कर रहे हैं। जिससे आमजन का काफी समस्या का सामना कर सकता है। और भूखण्ड पर लार्ज इगडा हो सकता है। अगर कोई भी आमजन प्लॉट खरीदता है तो उसकी समस्या जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

अशोक कासलीवाल, एडवोकेट
5, शास्त्री नगर, टोंक, मो. 9414250461

शोभायात्रा को लेकर हुई बैठक

उनयारा. कुशवाह समाज के मंदिर में रविवार रात कुशवाह समाज बंधुओं की बैठक जोर्गिंदर कुशवाह की अध्यक्षता में हुई। पंचों ने लव कुश जयंती मनाने को लेकर चर्चा की गई। जिसमें 10 जुलाई को शोभा यात्रा बस स्टैंड तक निकलने की बात कही गई।

भूमि कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र, बीकानेर

फोन - 0151-2226451 ईमेल - rj_acebi@nic.in

क्रमांक- अति/बी/अंके बी/2025-26/3975-3998

दिनांक- 21-07-25

संशोधन क्रमांक-02

इस कार्यालय द्वारा आमत्रित निविदा संख्या 03/2025-26 हेतु निम्नानुसार संशोधन जारी किया जाता है-

प्रक्रिया	ऑनलाईन बिड डालना	कार्यालय में धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क प्रस्तुत करना	ऑनलाईन बिड खोलना
दिनांक	11.08.2025	12.08.2025	12.08.2025
एवं समय	सायं 6:00 बजे तक	प्रातः 11:00 बजे तक	प्रातः 11:30 बजे

विस्तृत संशोधन sppp.rajasthan.gov.in एवं eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य शर्तें मूल निविदा के अनुसार यथावत रहेंगी। इस निविदा का एसपीपी पोर्टल पर यूबीएन नम्बर PHE2526WSOB03965 है।

(राजेश पुरोहित)
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वा.अभि. विभाग, क्षेत्र-बीकानेर

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना स्टेशन मुख्यालय (ईसीएसएस सेल), जयपुर, फोन-0141-2249017 और ई-मेल shjaipur@ech.s.gov.com.in रोजगार सूचना					
व्यापार का नाम	आयु सीमा	न्यूनतम योग्यता	न्यूनतम कार्य अनुभव	वांछनीय	रिक्तियां
प्रमर्मी अधिकारी	63	(क) सातक। (ख) सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी और पेंशन प्राप्त करने वाले।	स्वास्थ्य सेवा संस्थानों या प्रबंधकीय पदों पर पांच वर्ष	दस वर्ष और उससे अधिक। कंप्यूटर योग्यता। प्रबंधकीय पद।	भुवना और कोटपुतली-01 प्रत्येक।
चिकित्सा अधिकारी	66	एमबीबीएस, राष्ट्रीय/राज्य परिषद के साथ पंजीकरण।	मेडिसिन/सर्जरी में पांच वर्ष	एमबीबीएस में योग्यता, पीसी में योग्यता। अतिरिक्त योग्यता।	जयपुर-8, झुंझुनू-05, सीकर-04, विद्याधर नगर-02, चिड़वा-01, भुवना-02, कोटपुतली-01 और दोसा-01
दंत चिकित्सा अधिकारी	63	बीडीएस, राष्ट्रीय/राज्य परिषद के साथ पंजीकरण।	इंटरशिप के बाद पांच वर्ष	बीडीएस में मेरिट, पांच वर्ष और उससे अधिक का अनुभव।	जयपुर, सीकर, चिड़वा, और नीम का धाना-01 प्रत्येक।
रेडियोलॉजिस्ट	66	भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम-1956 की तीसरी अनुसूची के भाग-11 की पहली या दूसरी अनुसूची सहित मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता। भारतीय चिकित्सा परिषद	आईसीएस/ईसीएसएस पीसी/सिफित में पांच वर्ष का	दस वर्ष और उससे अधिक।	जयपुर, झुंझुनू और सीकर -01 प्रत्येक।

UTPADAN NIGAM LTD.

Deep Building, Lalkothi, Jaipur

RVU2526WLOB00991

ders for Construction of various
ission lines) for interconnection of
5-4 of RVUN's 3310 MW Solar Park
to RVPN proposed GSS in Tehsil
all Equipments/Materials, Erection
ioning (On Turnkey basis). Tender
c.rajasthan.gov.in (for e-tender),
w.sppp.rajasthan.gov.in.

Dy. Chief Engineer (NPP)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

LIMITED

Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar
Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001
(CIN:L36911RJ1996PLC011381)

of Security Interest Act 2002" had issued 60 days demand notice to the borrowers/co-borrowers/
unt will be recovered from auction of the mortgage properties/secured assets as given below. Therefore
provisions of 13(4) and 14 of the said Act, the Authorized officer is free to take possession for sale of the

sale, lease or otherwise, without prior written consent of the secured creditor.
ir secured asset upon the payment of the complete outstanding dues as mentioned below before the

Borrower A/c No.	Date and Amount of Demand Notice Under Sec. 13(2)	Description of Mortgaged Property
abaru adha	19-Jun-25 Rs. 805635/- Rs. eight Lakh five Thousand six hundred thirty-five Only As on 10-Jun-25	Property Situated At- Mandvinam, Mandvi Dhariawad, Dist-Pratapgarh, Rajasthan Admeasuring 7600 Square Feet
n Lal o-ver),	16-Jun-25 Rs. 242405/- Rs. two Lakh forty-two Thousand four hundred five Only As on 10-Jun-25	Property Situated At Missal No. 69, Sankalp No. 01, Kh. No. 523, Patta No 53102, Sindhu, Te- Mavli, Dist- Udaipur, Rajasthan, 313204 , Admeasuring 523.25 Square Feet
rower), r),	16-Jun-25 Rs. 967098/- Rs. nine Lakh sixty-seven Thousand ninety-eight Only As on 12-Jun-25	Property Situated At- Gram Panchayat 01,Vill. Saliya, Tehsil & Dist- Banswara, Rajasthan Admeasuring 1350 Sq. Ft.
r), te Shri)	27-Jun-25 Rs. 452289/- Rs. four Lakh fifty-two Thousand two hundred eighty-nine Only As on 27-Jun-25	Property Situated At Patta No 016 , Vill - Bhatoli Gujran , Dungla , Dist -Chittorgarh , Rajasthan Admeasuring 950 Sq.Ft.
la Bai put(Co-	13-Jun-25 Rs. 547247/- Rs. five Lakh forty-seven Thousand two hundred forty- seven Only As on 9-Jun-25	Property Situated At- Patta No- 31169, Book No- 5, Misal No- 161, Vill- Nandeshma, Tehsil- Sayara, Dist- Udaipur, Rajasthan Admeasuring 1275 Sq.Ft.
o- wer)	13-Jun-25 Rs. 417354/- Rs. four Lakh seventeen Thousand three hundred fifty- four Only As on 9-Jun-25	(1) Property Situated At- Gram Panchayat Sameliya, Dist- Rajasmand, Rajasthan Admeasuring 960 Sqft. (2) Property Situated At- Gram Panchayat Sameliya, Dist- Rajasmand, Rajasthan Admeasuring 1575 Sqft.
r), , Vikas singh nar	17-Jun-25 Rs. 606814/- Rs. six Lakh six Thousand eight hundred fourteen Only As on 12-Jun-25	Property Situated At- Survey No. 63, Vill- Tembesara, Dist- Banswara, Rajasthan Admeasuring 732 Sqft.
Meena	16-Jun-25 Rs. 142072/- Rs. one Lakh forty-two Thousand seventy-two Only As on 10-Jun-25	Property Situated At - Aaraji No 526, Patta No 6, Panchayat Samiti Barisadri, Gram Parliya Gram Panchayat Khemaliya, District - Chittorgarh, Rajasthan Admeasuring 520 Sqft
rower),)	17-Jun-25 Rs. 158776/- Rs. one Lakh fifty-eight Thousand seven hundred seventy-six Only As on 12-Jun-25	Property Situated At - Aaraji No 526, Patta No 6, Gram Parliya Gram Panchayat Khemaliya, Panchayat Samiti Barisadri, District - Chittorgarh, Rajasthan Admeasuring 520 Sqfts
a harma	6-Jun-25 Rs. 265712/- Rs. two Lakh sixty-five Thousand seven hundred twelve Only As on 5-Jun-25	Property Situated At- AARAJI No 1150, Water Works Road Pratapgarh, Dist- Pratapgarh, Rajasthan Admeasuring 500 Sqft.
orrower)	13-Jun-25 Rs. 694304/- Rs. six Lakh ninety-four Thousand three hundred four Only As on 9-Jun-25	Property Situated At- Aaraji No 402, Patta No 42, Devare Ke Pass Basera, Pratapgarh, Dist- Chittorgarh, Rajasthan Admeasuring 810 Sq.Ft
),)	16-Jun-25 Rs. 184186/- Rs. one Lakh eighty-four Thousand one hundred eighty-six Only As on 12-Jun-25	Property Situated At- Patta No. 54, Kh No. 486, Plot Of Prakash, Gp Devpura Ps Bhainsrodgrah, Bhadesar, Dist-Chittorgarh, Rajasthan Admeasuring 980 Square Feet
p shiba	17-Jun-25 Rs. 262511/- Rs. two Lakh sixty-two Thousand	Property Situated At - Patta No 2720, Gram Panchayat Arni, Vill Arni, Tehsil- Rashmi, District - Chittorgarh, Rajasthan Admeasuring 1092

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No- D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com
No- RPCB/RO Bundi/PUB-138/852 Date: 06.08.25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सोनी ग्रेनाइट्स कंपनी, रेफरेन्स नं
20221000053453 (एम.एल. नं.-26/2022) एवं गैप एप्रिया लॉट नं.
01/2024, खनन क्षेत्र 3.3436 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता
3,00,000 TPA (ROM) साथ में क्रेशर इकाई क्षमता 1000 TPH मय कुल
कलस्टर क्षेत्रफल 15.6275 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता
15,45,296.50 TPA- निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक
ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति
हेतु दिनांक 18.07.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान पंचायत समिति
सभागार, देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/ पर्यावरण जनसुनवाई/2025/19284 दिनांक
06.06.2025 द्वारा नियत की गई थी जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र
क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-138/418 दिनांक 09/06/2025
द्वारा जारी कर दैनिक अखबार द इन्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 12/06/2025 व टोंक
पत्रिका में दिनांक 12/06/2025 को प्रकाशित की गयी थी।
2. चूंकि, उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक / न्याय/
पर्यावरण जनसुनवाई/2025/20190 दिनांक 18/07/2025 द्वारा अपरिहार्य
कारणों से अग्रिम आवेशों तक स्थगित की गई, जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक
RPCB/RO Bundi/PUB-138/698 दिनांक 18/07/2025 द्वारा जारी कर वही
दैनिक अखबार द इन्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 22/07/2025 व टोंक पत्रिका में दिनांक
22/07/2025 को प्रकाशित की गयी।
3. चूंकि, कार्यालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक/न्याय/पर्यावरण
जनसुनवाई/2025/20500 दिनांक 01/08/2025 द्वारा उक्त परियोजना हेतु जन
सुनवाई पुनः नियत की गयी है।
4. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली
द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ) दिनांक 14/09/2006 एवं संशोधित
अधिसूचना संख्या का. आ. 2163 (अ) दिनांक 09/05/2022 समय-समय पर
संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में पुनः नियत की गयी जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना
जारी कर 15 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित द्रुपद पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त
कार्यालय सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
i. कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक ii. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला
टोंक iii. कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग क्षेत्र, जिला टोंक iv. पंचायत समिति, देवली,
तहसील देवली, जिला टोंक v. कार्यालय ग्राम पंचायत, बीजवाडा, तहसील देवली, जिला टोंक।
vi. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, प-218,
अरुण भवन, शालांना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। vii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, शालांना इगरी, जयपुर। viii. निदेशक, पर्यावरण
विभाग, कमार संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
ix. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी। X. कार्यालय
सहायक छानि, अभियंता छानि एवं पू-विज्ञान विभाग, जिला टोंक।
अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/
पर्यावरण जनसुनवाई/2025/20500 दिनांक 01/08/2025 के क्रम में इस आम
सूचना के माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय
स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2025 (शनिवार) को राजीव गांधी
सेवा केंद्र, पंचायत समिति, देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे
उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति/आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही
इस सम्बन्ध में लिखित आपत्ति/आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई
दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में भी
प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवदीय (शिव कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं. बून्दी



UMMEED HOUSING FINANCE PVT. LTD

Registered office at : 2009-2014, Magnum Global Park, 20 Floor Golf
Course Extn Rd See 58, Gurgaon, Haryana India, 122011
CIN: U64990HR2016PTC057984

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the authorized officer of the UMMEED HOUSING FINANCE
PVT. LTD. under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement
of Security Interest (Act, 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section
13(12) read with [rule 3] of the security interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand
notices to the Borrower/s as details herein under, calling upon the respective Borrowers
to repay the amount mentioned in the notice with all costs, charges and expenses till actual date
of payment within 60 days from the date of the receipt of the said notice.

The said Borrower/Co-borrower/Guarantor/Mortgagor having failed to repay the amount,
notice is hereby given to the borrower/Co-borrower/Guarantor/Mortgagor and the public
in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property described
herein below in exercise the powers conferred on him under sub-section (4) of section 13
of the said act read with rule 8 of the security interest Enforcement Rules, 2002 on this date.
The Borrower/Co-borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general is
hereby cautioned not to deal with the property and dealings with the property will be subject
to the charge of the UMMEED HOUSING FINANCE PVT.LTD. For the amount specified therein
with further interest, costs and Chagares from respective dates thereon until full payment.
The Borrower's attention is invited to provision of sub section (8) of Section 13 of the Act, in
respect of time available, to redeem the secured assets.
Details of the Borrowers, Co-borrowers and Guarantors, Securities, Outstanding Dues,
Demand Notice sent under Section 13(2) and Amount claimed thereunder and Date of
Possession is given as under:

Name and Address of the Borrower, Co Borrower Guarantor Loan Account No. And Loan Amount	Demand Notice Date	Physical Possession Date
1. Raj Kumari Vishwekarma W/o Raju Vishwekarma (Borrower)	13-Sep-24	05-Aug-2025
2. Raju Vishwekarma S/o Ramnarayan Vishwekarma (Co-Borrower) Both Above Residing At- Plot No. 3-4, Meena Ka Bagh, Gurjar Ghati Amer Road, Jaipur, Rajasthan-302006 Also At B-13, Bunkar Basti, Amer Road, Tripolia Bazar Jaipur, Rajasthan-302002 Loan No. LXJPRO2918-190003863 & LXJPRO2421-220014124 Loan Agreement Date-19-Feb-2019 & 24-Dec-2021 Loan Amt. Rs. 10,44,828/- & Rs. 28,000/-	Amount Due In Rs. Rs. 9,74,783/- & Rs. 42,526/-Total Aggregate Amount Of Rs.1017309/- (Rupees Ten Lacs Seventeen Thousand Three Hundred Nine Only) As On 13-Sep-2024 + Further Interest And Other Charges From 14-Sep-2024	

Details Of The Secured Asset:- All That Part And Parcel Of Residential Property Bearing
Plot No.313, Dated On 20-09-1997, Measuring 80 Sq Yrds., Situated At Scheme Tara
Nagar, Jaisinghpura Khor, District Jaipur, Rajasthan. Boundaries: East:- 40ft Road Wide,
West:- Plot No.256, North:-Plot No.312, South:- Plot No.314

Date: 07.08.2025 Authorized Officer, Mr. Gaurav Tripathi Mobile- 9650055701
Place: Gurugram, Haryana Ummeed Housing Finance Pvt. Ltd

Encore Asset Reconstruction Company

जन के समान ना है दूषित खानपान और र्या: आचार्य वर्धमान



ग चरण प्रक्षालन करते श्रद्धालु।

नि है। भगवान की भक्ति से कर्म नष्ट होते
न्ययता हैं। धार्मिक कार्यों से पुण्य मिलता
ना पूर्ण है। माताजी ने परमेष्ठियों के सुख
ो होना की विवेचना की। संसंध सान्निध्य
है। में पौधरोपण कार्य की शुरुआत हुई।
ने समाज प्रवक्ता पवन कंटान ने
र को बताया कि श्री आदिनाथ भगवान
जेनेन्द्र एवं प्रथमाचार्य शांतिसागर सहित

पूर्वाचार्यों के चित्र का अनावरण
कर दीप प्रवज्जलन दिगंबर जैन
महासमिति टोंक की महिला मंडल,
बाहर के अतिथियों और कमेटी ने
किया। इन सभी ने आचार्य के
चरण प्रक्षालन कर जिनवाणी भेंट
कर भक्ति नृत्य के साथ पूजन
किया।

न श्रावण झूला महोत्सव का समापन, भजन संध्या में झूम उठे श्रद्धालु

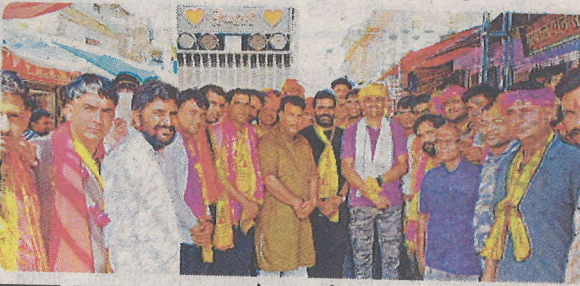


टोंक. श्रीश्याम श्रावण झूला महोत्सव के समापन पर आयोजित भजन संध्या में उस्थित श्रद्धालु।

न टोंक. श्याम मंदिर प्रबंध समिति टोंक के
तत्वावधान में सावन माह में गत 16 दिनों से
आयोजित श्री श्याम श्रावण झूला महोत्सव
2025 का समापन समारोह (पूर्णहुति) का
आयोजन मंगलवार देर शाम श्याम मंदिर में
मनाया गया।
मंदिर समिति के शैलेन्द्र गर्ग एडवोकेट ने
बताया कि सुबह बाबा श्याम का पंचामृत
अभिषेक कर चंदन तिलक किया गया।
कोलकाता से मंगाए गए फूलों से बाबा श्याम
का श्रृंगार कर भक्तों के दर्शनार्थ पट खोले गए।
बाबा श्याम के दर्शनों के लिए दिन भर
श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर समिति के
शेलु गर्ग ने बताया की रात्रि को आयोजित
भजन संध्या की शुरुआत दिनेश कुमार, महेश

कुमार बंसल ने बाबा श्याम की अखंड ज्योत
जलाकर की। भजन गायक लक्की सोनी ने
गजानंद गणपति जी महाराज के आह्वान के
साथ भजन संध्या की शुरुआत हुई। केशव
कृष्ण पारीक ने बालाजी महाराजजी की
आराधना की। संजय बारेठ एवं रिषभ जैन ने
भजनों की प्रस्तुति दी। जयपुर के गायक मनोज
शर्मा ने श्याम बाबा के एवं झूलों के भजनों का
गुणगान किया। पूरा मंदिर परिसर श्रोताओं से
खचाखच भरा रहा। मध्य रात्रि तक चली
भजन संध्या में ठाकुर जी को छप्पन प्रकार की
मिठाई एवं खीर चूरमे का भोग लगाकर प्रसाद
श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। आयोजन के
दौरान पूरे मंदिर परिसर की गुब्बारों से एवं रंगीन
लाइटों से आकर्षक सजावट की गई थी।

डिगगी मेले के सफल संचालन पर पुलिस ने निकाली पदयात्रा



मालपुरा. पदयात्रा का स्वागत करते ग्रामवासी।

मालपुरा. डिगगी में बुधवार को पुलिस
ने थाना परिसर से गाजे बाजे के साथ
डिगगी कल्याणजी महाराज के मन्दिर
तक पदयात्रा निकालकर सुख समृद्धि
की कामना की। पदयात्रा के दौरान
किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना,
वारदात एवं सफल आयोजन को
लेकर डिगगी थाना प्रभारी सत्यनारायण

चौधरी के नेतृत्व में थाना स्टाफ के
साथ थाना परिसर से पदयात्रा के रूप
में डिगगी कल्याणजी के मन्दिर पहुंचे।
जहां पुजारी, ग्रामीणों व व्यापारियों ने
स्टाफ का माल्यार्पण कर साफा
बंधाकर स्वागत किया गया। मन्दिर
परिसर में विधिवत पूजा अर्चना के
साथ ध्वज को चढ़ाया गया।



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No-D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com
No- RPCB/RO Bundi/PUB-138/852



Date: 06.08.25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सोनी ग्रेनाईट्स कंपनी, रंफेरस नं 20221000053453 (एम.एल. नं.-26/2022) एवं गैप एरिया प्लॉट नं. 01/2024, खनन क्षेत्र 3.3436 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 3,00,000 TPA (ROM) साथ में क्रैशर इकाई क्षमता 1000 TPH मय कुल कलस्टर क्षेत्रफल 15.6275 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 15,45,296.50 TPA- निकट ग्राम संग्रामपुरा, तहसील देवली, जिला टोंक ग्रेनाईट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित परिशिष्टों की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 18.07.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान पंचायत समिति सभागार, देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक च्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/19284 दिनांक 06.06.2025 द्वारा नियत की गई थी जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-138/418 दिनांक 09/06/2025 द्वारा जारी कर दैनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 12/06/2025 व टोंक पत्रिका में दिनांक 12/06/2025 को प्रकाशित की गयी थी।

2. चूंकि, उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक च्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/20190 दिनांक 18/07/2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आवेशों तक स्थगित की गई, जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-138/698 दिनांक 18/07/2025 द्वारा जारी कर वही दैनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 22/07/2025 व टोंक पत्रिका में दिनांक 22/07/2025 को प्रकाशित की गयी।

3. चूंकि, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक च्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/20500 दिनांक 01/08/2025 द्वारा उक्त परियोजना हेतु जन सुनवाई पुनः नियत की गयी है।

4. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण बचन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ) दिनांक 14/09/2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या का. आ. 2163 (अ) दिनांक 09/05/2022 समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में पुनः नियत की गयी जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 15 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यालयिक सार अर्पित छवि निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

i. कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक ii. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक iii. कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, जिला टोंक iv. पंचायत समिति, देवली, तहसील देवली, जिला टोंक v. कार्यालय ग्राम पंचायत, बीजवाड, तहसील देवली, जिला टोंक vi. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरव्य भवन, शालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर vii. सस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, शालाना इंदौर, जयपुर viii. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर ix. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बुंदी, जिला बुंदी x. कार्यालय सहायक छवि. अभियंता खान एवं पृ-विज्ञान विभाग, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक च्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/20500 दिनांक 01/08/2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2025 (शनिवार) को राजीव गांधी सेवा केंद्र, पंचायत समिति, देवली, तहसील देवली, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति/आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आपत्ति/आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बुंदी जिला बुंदी में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवदीय (शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.भं.-बुंदी